



2026:AHC:50179

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - बी सं. - 4837 वर्ष 2025

सत्यजीत

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अजहर ज़मिल

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. प्रारम्भ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से यह अनुमति चाही कि वे आज ही दिन के दौरान रिट याचिका के प्रार्थना खंड में संशोधन कर सकें।
2. अनुमति प्रदान की जाती है।
3. याचिका के प्रार्थना खंड में आवश्यक संशोधन आज ही दिन के दौरान कर लिया जाए।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
5. प्रस्तुत रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

“(i) प्रतिवादी संख्या-4 को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे अपील संख्या 201154054400000244 (राज नारायण एवं अन्य बनाम बृज नारायण एवं अन्य), जो नियम 109, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत दिनांक 25.01.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश (अनुलग्नक संख्या-1) के पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें तथा प्रकरण अमर सिंह बनाम बृजनारायण सिंह, वाद संख्या 202554054465011030 का यथाशीघ्र, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्प अवधि के भीतर

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निस्तारण/कार्यान्वयन कराएं, जिससे याचिकाकर्ता को न्याय प्राप्त हो सके।”

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उपर्युक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण/कार्यान्वयन हेतु कोई निर्देश जारी कर दिया जाए।
7. उपर्युक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय यह उपयुक्त समझता है कि वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए, बिना इस रिट याचिका में उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए हुए, तथा प्रतिवादी संख्या-2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद का निर्णय विधि के अनुसार, कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करते हुए, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **बारह माह** की अवधि के भीतर करें।
8. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

11 मार्च, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।